[2022] 6 एस. सी. आर. 737

/

महेंद्र सिंह और ओआरएस।

एम. पी. का राज्य

(2021 की आपराधिक अपील No.764) 3 जून, 2022

/

[बी**.** आर**.** गवई और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302 आर/डब्ल्यू एस।149, और एस।148 – हत्या-पीडब्लू6 की एकमात्र गवाही के आधार पर अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय ने पीडब्लू6 को एक ऐसे गवाह की श्रेणी में पाया जो "न तो पूरी तरह से विश्वसनीय था और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय", और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि की मांग करने वाले दोषसिद्धि को बरकरार रखा-अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि-चुनौती दी गई, इस आधार पर कि पीडब्लू6 "पूरी तरह से अविश्वसनीय" गवाह की श्रेणी में आता है-आयोजितःपीडब्लू3 और पीडब्लू4 के साक्ष्य से, जिसकी डीडब्ल्यू3 और डीडब्ल्यू4 के साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई थी, यह स्पष्ट था कि पीडब्लू6 घटना को नहीं देख सकता था-पीडब्लू6 का साक्ष्य "पूरी तरह से अविश्वसनीय" गवाह की श्रेणी में आता है-इस तरह, कोई भी दोषसिद्धि पूरी तरह से उसकी गवाही के आधार पर नहीं हो सकती थी-उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा साक्ष्य से मांगी गई पुष्टि उचित नहीं थी-चिकित्सा साक्ष्य केवल यह स्थापित कर सकता था कि मृत्यु हत्या थी-हालाँकि, इसका उपयोग पीडब्लू6 के संस्करण की पुष्टि करने के लिए नहीं किया जा सकता था कि उसने घटना देखी थी-अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और इस तरह, आरोपी-अपीलकर्ता संदेह का लाभ दिए जाने के हकदार थे-ऐप

/

/

/

आपराधिक मुकदमा-गवाह-गवाहों की श्रेणियां-आयोजितःगवाह तीन प्रकार के होते हैं।, (क) पूरी तरह से विश्वसनीय; (ख) पूरी तरह से अविश्वसनीय; और (ग) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय-जब गवाह "पूरी तरह से विश्वसनीय" है, तो न्यायालय को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोषसिद्धि या दोषमुक्ति ऐसे एकल गवाह की गवाही के आधार पर हो सकती है-इसी तरह, यदि न्यायालय पाता है कि गवाह "पूरी तरह से अविश्वसनीय" है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि न तो दोषसिद्धि और न

ही दोषमुक्ति ऐसे गवाह की गवाही के आधार पर हो सकती है-यह केवल गवाहों की तीसरी श्रेणी में है कि न्यायालय को चौकस रहना होगा और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा भौतिक विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होगी।

/

/

/

737 ए.

738 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

आपराधिक मुकदमा-उद्देश्य-केवल इसलिए कि उद्देश्य स्थापित हो जाता है, दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

आपराधिक मुकदमा-गवाह-बचाव पक्ष का गवाह बनाम अभियोजन पक्ष का गवाह-आयोजितःबचाव पक्ष के गवाह (एस) के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा अभियोजन पक्ष के गवाह (एस) के साथ किया जाना है।

/

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1.**वादिवेलु थेवर के मामले में अपने प्रसिद्ध निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि गवाह तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात्।, **(**ए**)** पूरी तरह से विश्वसनीय**; (**बी**)** पूरी तरह से अविश्वसनीय**;** और **(**सी**)** न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।जब गवाह "पूरी तरह से विश्वसनीय" होता है, तो न्यायालय को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोषसिद्धि या बरी होना ऐसे एकल गवाह की गवाही के आधार पर हो सकता है।समान रूप से, यदि न्यायालय पाता है कि गवाह "पूरी तरह से अविश्वसनीय" है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि न तो दोषसिद्धि और न ही बरी होना ऐसे गवाह की गवाही पर आधारित हो सकता है।यह केवल गवाहों की तीसरी श्रेणी में है कि न्यायालय को चौकस रहना पड़ता है और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होती है।**[**पैरा **13] [744-**बी**-**सी**]**

/

/

/

2.1.उच्च न्यायालय ने पीडब्लू**6** की गवाही को तीसरी श्रेणी में पाया और पीडब्लू**2** द्वारा आयोजित पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि की मांग करने वाले दोषसिद्धि को बरकरार रखा।**[**पैरा **14] [744-**डी**]**

2.2.हालाँकि**,** पी**.** डब्ल्यू**. 3** और पी**.** डब्ल्यू**. 4** की गवाही से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है**,** डी**.** डब्ल्यू**. 3** और डी**.** डब्ल्यू**. 4** की गवाही का उल्लेख किए बिना**,** कि यह डी**.** डब्ल्यू**. 3** ही था जिसने पी**.** डब्ल्यू**. 6** को रास्ते में पड़े मृतक के शव के बारे में सूचित किया था।पी**.** डब्ल्यू**. 3** और पी**.** डब्ल्यू**. 4** के साक्ष्य डी**.** डब्ल्यू**. 3** और डी**.** डब्ल्यू**. 4** के साक्ष्य से पूरी तरह से पुष्ट हैं।यह एक स्थापित विधि है कि बचाव **(**एस**)** के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो अभियोजन पक्ष के गवाह **(**एस**)** के साथ किया जाना है।इन गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू**6** इस घटना का गवाह नहीं हो सकता था।**[**पारस **17,18,20** और **21] [745-D-E, G-H] A**

/

/

/

739

महेंद्र सिंह और ओआरएस।एम. पी. का राज्य

2.3.पीडब्लू**6** का साक्ष्य "पूरी तरह से अविश्वसनीय" गवाह की श्रेणी में आता है।इस प्रकार**,** कोई भी दोषसिद्धि केवल उसकी गवाही के आधार पर नहीं हो सकती थी।उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा साक्ष्य से मांगी गई पुष्टि उचित नहीं थी।चिकित्सीय साक्ष्य केवल यह स्थापित कर सके कि मृत्यु हत्या थी।हालाँकि**,** इसका उपयोग पीडब्लू**6** के संस्करण की पुष्टि करने के लिए नहीं किया जा सकता था कि उन्होंने इस घटना को देखा है।**[**पैरा **22] [746-**ए**-**बी**]**

/

2.4.जहाँ तक प्रत्यर्थी**-**राज्य के इस तर्क का संबंध है कि अभियोजन पक्ष ने उद्देश्य को साबित कर दिया है**,** यह अच्छी तरह से तय है कि केवल उद्देश्य स्थापित होने के कारण**,** दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।**[**पैरा **23] [746-**सी**]**

/

3. अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है और इस तरह**,** अभियुक्त संदेह का लाभ दिए जाने के हकदार हैं।अपीलार्थीकैं आरोपसँ मुक्त कऽ देल जाइत अछि।**[**पारस **24,25] [746-**सी**-**डी**]**

/

वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य **(1957)** एससीआर

981 – पर भरोसा किया।

शकीला अब्दुल गफर खान (श्रीमती) बनाम वसंत रघुनाथ

धोबले एंड अदर (2003) 7 एस. सी. सी. 749:[2003]

/

3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 426;** आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुल्लागुम्मी कासी रेड्डी कृष्णा रेड्डी उर्फ राम कृष्ण रेड्डी और अन्य **(2018) 7** एस**.** सी**.** सी**. 623;** और रूपिंदर सिंह संधू बनाम पंजाब राज्य और अन्य

(2018) 16 एससीसी **475:[2018] 6** एस**.** सी**.** आर**. 479-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[1957] एससीआर **981**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

[2003] 3 पूरक।एससीआर **426**

संदर्भित

पैरा **10**

(2018) 7 एस**.** सी**.** सी**. 623**

संदर्भित

पैरा **10**

/

[2018] 6 एससीआर **479**

संदर्भित

पैरा **10**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2021 की आपराधिक अपील No.764।

/

740

/

[2022] 6 एस सी आर।

/

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.08.2019 के निर्णय और आदेश से, 2000 की आपराधिक अपील No.317 में ग्वालियर की पीठ।

सह

2021 की आपराधिक अपील No.765

/

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, राज किशोर चौधरी, शकील अहमद, रिज़वान अहमद, शिवम यादव, जतिन आनंद द्विवेदी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री अंकिता चौधरी, डीएजी, गोपाल झा, अमित शर्मा, सुश्री हिमांशी शाक्य, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. ये दोनों अपीलें, यानी महेंद्र सिंह (आरोपी संख्या 3), प्रीतम सिंह (आरोपी संख्या 4) और शंभू सिंह (आरोपी संख्या 9) द्वारा दायर 2021 की आपराधिक अपील और लखन सिंह (आरोपी संख्या 1) द्वारा दायर 2021 की आपराधिक अपील, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ, ग्वालियर की पीठ द्वारा 2000 की आपराधिक अपील में 6 अगस्त, 2019 के निर्णय को चुनौती देती हैं, जिससे वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और 302 के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 के अंतर्गत एक साल के कठोर कारावास की सजा और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 के अंतर्गत आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जाता है।2. संक्षेप में, वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

/

/

/

इसके अंतर्गतः

3. वर्तमान मामले में जाँच अमोल सिंह (पीडब्लू. 6) की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी, जिसके आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में "एफ. आई. आर".), प्रदर्शनी पी-7, दर्ज की गई थी।एफ. आई. आर. में अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) ने कहा है कि 12 जून, 1994 को जब वह बसोदा से लौट रहे थे, तब वे अपने भाई भगत सिंह (मृतक) से लगभग 6 बजे मिले थेः00 और अखे सिंह (पीडब्लू-4) से भी मुलाकात की थी।उन्होंने आगे कहा कि वे नई सरक से चक राणापुर तक बस में सवार हुए।चक राणापुर पहुँचलाक बाद ओसभ ए चललीह।

/

/

अपने गाँव बुधोर की ओर।शाम करीब 7 बजे जब वे गांव रतनपुर पहुंचे तो वह आगे चल रहा था, उसके बाद अखे सिंह (पीडब्लू-4) आया, जिसके पीछे भगत सिंह आया, उसने अपने भाई भगत सिंह के रोने की आवाज सुनी और जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि शंभू राजपूत ने भगत सिंह को एक बल्ला से मारा; आरोपी संतोष, लखन, महेंद्र और प्रीतम ने भी भगत सिंह पर बल्ला से हमला किया था, जिससे शरीर के सामने की ओर चोट लगी थी; आरोपी-पदम सिंह ने भगत सिंह को रॉड से मारा था; आरोपी-दशरथ सिंह ने भगत सिंह पर सिर पर लाठी से हमला किया था और तीन अन्य ने भगत सिंह को डंडों से मारा था।उन्होंने आगे कहा कि जब अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता-अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) और अखे सिंह (पी. डब्ल्यू. 4) पर हमला करने का आरोप लगाया, तो वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और गाँव बुधोर पहुँच गए और दीवान सिंह, पूरन सिंह, मोकम सिंह आदि को घटना के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा है कि वे सभी घटना स्थल पर वापस आए थे और भगत सिंह को मृत पाया था।उन्होंने वीर सिंह का एक ट्रैक्टर किराए पर लिया और शव को पुलिस स्टेशन ले गए।यह उसका मामला है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पूर्व शत्रुता के कारण मृतक पर हमला किया था।

/

/

/

4. जाँच के समापन के बाद, 11 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गंज बसोदा की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को विद्वान सत्र न्यायालय , गंज बसोदा जिला विदिशा, मध्य प्रदेश (जिसे इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित किया गया है) को सौंप दिया।सभी 11 अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई. पी. सी. के विरचित अंतर्गत संदर्भित) की धारा 148 और धारा 149 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे।

/

5. मुकदमे के समापन पर विचारण न्यायालय ने 18 अप्रैल, 2000 के निर्णय में भरत सिंह (आरोपी नंबर 1), विश्वनाथ सिंह (आरोपी नंबर 2), दशरथ सिंह (आरोपी नंबर 5), पदम सिंह (आरोपी नंबर 6), बना लाल उर्फ बाना सिंह (आरोपी नंबर 8) और पप्पु उर्फ कुबेर सिंह (आरोपी नंबर 1) को बरी कर दिया।हालाँकि, 18 अप्रैल, 2000 के उसी निर्णय द्वारा, विचारण न्यायालय ने महेंद्र सिंह (आरोपी संख्या 3), प्रीतम सिंह (आरोपी संख्या 4), संतोष (आरोपी संख्या 7), शंभू सिंह (आरोपी संख्या 9) और लखन सिंह (आरोपी संख्या 1) को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148,302 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

/

/

/

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149। जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई।6. निचली अदालत द्वारा 18 अप्रैल, 2000 को पारित निर्णय से व्यथित होकर सभी दोषी और सजा पाए अभियुक्तों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की।6 अगस्त, 2019 के आक्षेपित निर्णय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय , ग्वालियर की पीठ ने अपील को खारिज कर दिया है।अतः वर्तमान अपीलें।7. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु और प्रतिवादी-राज्य मध्य प्रदेश की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता (संक्षेप में "डीएजी") सुश्री अंकिता चौधरी को सुना है।

/

/

8. श्री एस. नागमुथु प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थियों की पूरी दोषसिद्धि अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) की एकमात्र गवाही पर आधारित है।विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि महेंद्र सिंह (पीडब्लू. 3) और अखे सिंह (पीडब्लू. 4) के साक्ष्य के साथ-साथ मोबत सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) और कोक सिंह रघुवंशी (डी. डब्ल्यू. 4) के साक्ष्य से पता चलता है कि अमोल सिंह (पीडब्लू. 6) घटना के गवाह नहीं हो सकते थे।वे प्रस्तुत करते हैं कि अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) मृतक भगत सिंह के असली भाई हैं और इसलिए उनकी गवाही की अधिक सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए।विद्वान वरिष्ठ वकील ने निर्णय पर भरोसा किया

/

/

वादिवेलु थेवर बनाम के मामले में इस न्यायालय का। मद्रास राज्य 1.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त गवाह की गवाही "पूरी तरह से अविश्वसनीय" गवाह की श्रेणी में आती है और इस तरह, ऐसे गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि पोषणीय नहीं हो सकती है।श्री नागमुथु ने आगे कहा कि एक ही साक्ष्य/गवाही के आधार पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने छह अभियुक्तों को बरी कर दिया था, जबकि अन्य पांच को दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।

/

9. श्री नागमुथु ने आगे कहा कि इस बात पर भी संदेह है कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी वास्तविक प्राथमिकी है या नहीं।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विलंबित एफ. आई. आर. अभियोजन मामले की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करेगी।

/

10. इसके विपरीत, डी. ए. जी. की सुश्री अंकिता चौधरी ने कहा कि विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) की गवाही पर सही भरोसा किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल

/

1 (1957) एससीआर 981 ए

क्योंकि गवाह के साक्ष्य में एक मामूली विरोधाभास/विसंगति सामने आई है, यह ऐसे गवाह की गवाही की सच्चाई पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कहावत "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस" भारत में स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए वह प्रस्तुत करती है कि गवाह की गवाही से सच्चाई का पता लगाने के लिए अनाज को भूसी से अलग करना पड़ता है।उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

/

शकीला अब्दुल गफर खान **(**श्रीमती**)** बनाम वसंत रघुनाथ धोबले और अन्य **2,** आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुल्लागुम्मी कासी रेड्डी कृष्ण रेड्डी उर्फ राम कृष्ण रेड्डी और अन्य **3;** और रूपिंदर सिंह संधू बनाम पंजाब राज्य और अन्य **4** के मामले उसे मजबूत करने के लिए।

प्रस्तुतियाँ।11. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह पता चलेगा कि वर्तमान अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मूल रूप से अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) की गवाही पर आधारित है।पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट की प्रकृति में चिकित्सा साक्ष्य से पुष्टि मांगी जाती है।

/

/

12. वादिवेलु थेवर (उपर्युक्त) के मामले में अपने प्रसिद्ध निर्णय में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगाः“.....इसलिए, हमारी राय में, यह विधि का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि न्यायालय का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से।आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्ः

/

(1) पूरी तरह से विश्वसनीय।

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय।

/

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।सबूत की पहली श्रेणी में, न्यायालय को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए-वह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकती है या बरी कर सकती है, अगर वह निंदा या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाई जाती है।दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं होती है।यह तीसरी श्रेणी में है

/

मामले, कि न्यायालय को चौकस रहना होगा और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होगी। "

13. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने पाया है कि गवाह तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात्।, (ए) पूरी तरह से विश्वसनीय; (बी) पूरी तरह से अविश्वसनीय; और (सी) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।जब गवाह "पूरी तरह से विश्वसनीय" होता है, तो न्यायालय को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोषसिद्धि या बरी होना ऐसे एकल गवाह की गवाही के आधार पर हो सकता है।समान रूप से, यदि न्यायालय पाता है कि गवाह "पूरी तरह से अविश्वसनीय" है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि न तो दोषसिद्धि और न ही बरी होना ऐसे गवाह की गवाही पर आधारित हो सकता है।यह केवल गवाहों की तीसरी श्रेणी में है कि न्यायालय को चौकस रहना पड़ता है और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होती है।

/

/

14. उच्च न्यायालय ने अमोल सिंह (पीडब्लू. 6) की गवाही को तीसरी श्रेणी में पाया है और डॉ. एस. एस. भार्गव (पीडब्लू. 2) द्वारा संचालित पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि की मांग करने वाली दोषसिद्धि को बरकरार रखा है।इसलिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) का साक्ष्य/गवाही किस श्रेणी में आएगा।15. अमोल सिंह (पीडब्लू. 6) ने घटना का विस्तृत विवरण दिया है।उनका कहना है कि घटना के दिन भगत सिंह और संतोष खवास नटेरन गए थे और वे बसोदा गए थे।शाम करीब 4:45 बजे वह अपने गांव के लिए रवाना हो गए।भगत सिंह गाँव जाने के लिए अपनी बस में बैठ गए।वे रतन पुर चक बस स्टॉप पर उतरे और उसके बाद गाँव बुधोर जा रहे थे।उनके गाँव की ओर चलते समय, शाम लगभग 6 बजे, उन्होंने भगत सिंह के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जिसने मुझे (मार डाला) मार डाला।इसके बाद उसने सभी अभियुक्तों को मृतक पर हमला करते देखा।वह कहता है कि जब आरोपी व्यक्ति उसके पीछे भागे, तो वह वहाँ से भाग गया और बुधोर में अपने घर पहुँच गया।इसके बाद, उन्होंने अपने भाइयों, प्राग सिंह, पूरन सिंह और मोकम सिंह

को यह घटना सुनाई।वे सभी मौके पर गए, जहाँ उन्होंने भगत सिंह को मृत पाया।इसके बाद पूरन सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली ली और भगत सिंह को नटेरन पुलिस स्टेशन ले गए।इसके बाद उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व शत्रुता अपराध करने का कारण था।

/

/

/

/

/

745

महेंद्र सिंह और ओआरएस।एम. पी. का राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

/

16. महेन्द्र सिंह (पी. डब्ल्यू. 3) की गवाही का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अपने घर में अपने चाबुतारा (चौक) पर बैठे थे।मोबत सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) ने अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) को बताया कि भगत सिंह नगर चक में मृत पड़े हैं। फिर मोकम सिंह, अमोल सिंह (पीडब्लू. 6), एरेग सिंह, परवत सिंह, हिम्मत सिंह, रतन, फुल्लू, गुल्लू, लल्लू चक में भगत सिंह से मिलने गए और उनके साथ वे भगत सिंह से मिलने भी गए थे।गेंदा के घर के सामने नगर चक में उन्होंने भगत सिंह को मृत अवस्था में पाया। इसके बाद, अमोल सिंह (पीडब्लू. 6) और मोकम सिंह भगत सिंह को नातेरान ले गए।अपनी जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया है कि मोबत सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) ने अपनी उपस्थिति में अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) को बताया था कि भगत सिंह रास्ते में मृत पड़े हैं।इसके बाद अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) घबरा गए और रोने लगे।अखे सिंह (पी. डब्ल्यू. 4) ने इसी तर्ज पर अपनी गवाही दी है।

/

/

17. इस प्रकार महेंद्र सिंह (पीडब्लू. 3) और अखे सिंह (पीडब्लू. 4) की गवाही से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मोबत सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) और कोक सिंह रघुवंशी (डी. डब्ल्यू. 4) की गवाही का उल्लेख किए बिना, यह मोबत सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) ही थे जिन्होंने अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) को रास्ते में पड़े भगत सिंह के शव के बारे में सूचित किया था।

/

18. महेंद्र सिंह (पीडब्लू. 3) और अखे सिंह (पीडब्लू. 4) के साक्ष्य की पूरी पुष्टि मोबत सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) और कोक सिंह रघुवंशी (डी. डब्ल्यू. 4) के साक्ष्य से होती है।कोक सिंह रघुवंशी (डी. डब्ल्यू. 4) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर बसोदा से बुधोर जा रहे थे, तो प्राण सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें रोका और बताया कि भगत सिंह रास्ते में मृत पड़े थे।इसके बाद वे गाँव बुधोर गए और मोबत सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) को यह जानकारी दी।19. मोबत सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्हें कोक सिंह रघुवंशी (डी. डब्ल्यू. 4) ने रास्ते में भगत सिंह के मृत पड़े होने की सूचना दी थी। इसके बाद वह भगत सिंह के घर गए और प्राग सिंह, अमोल सिंह (पीडब्लू 6), मोकम सिंह, पूरन सिंह और अखे सिंह को इसकी जानकारी दी।

/

/

/

20. यह एक स्थापित विधि है कि बचाव पक्ष के गवाह (एस) के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा अभियोजन पक्ष के गवाह (एस) के साथ किया जाना है।21. इन गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) इस घटना के गवाह नहीं हो सकते थे।

/

22. इसलिए हम पाते हैं कि अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) का साक्ष्य "पूरी तरह से अविश्वसनीय" गवाह की श्रेणी में आएगा।इस प्रकार, कोई भी दोषसिद्धि केवल उसकी गवाही के आधार पर नहीं हो सकती थी।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा साक्ष्य से मांगी गई पुष्टि उचित नहीं थी।चिकित्सीय साक्ष्य केवल यह स्थापित कर सके कि मृत्यु हत्या थी।हालाँकि, इसका उपयोग अमोल सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) के इस कथन की पुष्टि करने के लिए नहीं किया जा सकता था कि उन्होंने इस घटना को देखा है।23. जहाँ तक प्रत्यर्थी के लिए विद्वान डी. ए. जी. के तर्क का संबंध है-यह बताएँ कि अभियोजन पक्ष ने उद्देश्य को साबित कर दिया है, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल उद्देश्य स्थापित होने के कारण, दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

/

/

24. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है और इस तरह, अभियुक्त संदेह का लाभ दिए जाने के हकदार हैं।

25. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:((i) अपीलों की अनुज्ञात है।

/

(ii) 2000 की आपराधिक अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 6 अगस्त, 2019 को दिए गए आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ 18 अप्रैल, 2000 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गंज बसोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश द्वारा 1996 के सत्र मुकदमे में पारित किए गए निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है।

/

((iii) अपीलार्थियों को आरोपित आरोपों से बरी कर दिया जाता है।यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

/

26. जमानत के लिए आवेदन सहित लंबित आवेदनों का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाएगा।

/

/

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/